धारा 164 दण्डप्रक्रियासंहिता (सी.आर.पी.सी) के अंतर्गत बालकों का बयान

लैंगिक अपराध से पीड़ित बालकों के लिए न्याय पाने के दौरान यह बातें जान लें

धारा 164 दण्डप्रक्रियासंहिता (सी.आर.पी.सी) के अंतर्गत बालक एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या जुडीशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देतें है

प्रक्रिया के लिए लिया गया समयः

न्यायालय तक पहुँचने के लिए की गयी यात्रा और प्रतीक्षा अवधि की गिनती न करते हुए इस प्रक्रिया मे २ से ५ घंटे लग सकते हैं।

किस चरण में ये बयान लिया जाता है?

शिकायत दर्ज करने के कुछ सप्ताह, एक महीने या दो महीने ये बयान लिया जा सकता हैं

क्या यह अनिवार्य है?

येबयान स्वैच्छिक बयान है और कुछ मामलों में, बिल्कुल भी नहीं लिया गया है।

हालांकि,यह विचार करते हुए कि बालक भूल सकता है या केस का गलत विवरण दे सकता है ,इसलिए एक मजिस्ट्रेट के सामने बयानदर्ज करना अच्छा अभ्यास माना जाता है।

पोक्सोकानून (POCSO) के तहत दर्ज अधिकांश मामलों में पुलिस बालक के 164 सी.आर.पी.सी बयान लेने पर जोर देती है।

यह सब चीजें अपने साथ रखे

बालके के लिए खाना और पानी रखें।

अगर बालक को इंतजार करना पड़ता है तो रंग भरने वाली किताबें, बच्चों की किताबें, कुछ खिलौने और वीडियो गेमकी मदद से वह बेचैन नहीं होते।

यदि आप बालक के माता-पिता हैं, तो एक मान्य पहचान प्रमाण रखें।

यदि आप बालक की सहायता करने वाले भरोसेमंद व्यक्ति हैं या सपोर्टपर्सन हैं, तो वैध पहचानप्रमाण के साथ आपको सपोर्टपर्सन के रूप में नियुक्ति के लिए सी.डब्ल्यू.सी द्वारा जारी आदेश रखें।

चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना आवश्यक है

बालके के साथ पुलिस वर्दी में नहीं होनी चाहिए।

जहां तक संभव हो पुलिस को बालक को निजी वाहन में ले जाना और वापस छोड़ना चाहिए।

164 (सी.आर.पी.सी) बयान के बारे में बालक से कैसे बात करें

बालक को बताएं कि उन्हें न्यायालय में ले जाया जाएगा।

अदालत का वर्णन करें। आप फिल्मों और अन्य सचित्र चित्रणों को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

उन्हें बताएं कि कमरे में न्यायाधीश और एक टाइपिस्ट के अलावा कोई औरनहींहोगा । न्यायाधीश प्रश्न पूछ सकते हैं,जबकि टाइपिस्ट सब नोट करेगा।

उन्हें बताएं कि यदि न्यायाधीश आपको अनुमति देते हैं , तो आप और/या कोई विश्वसनीय वयस्क जिसे बालक जानता है,वह उपस्थित होगा। लेकिन बालक को बताएं कि बयान शुरू होने के बाद इस व्यक्ति को बोलने या हाथ से संकेत की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बालक को विशेष रूप से बताए कि वह न्यायाधीश को बताएंकि आप कमरे में उपस्थित रहें, यदि वह यही चाहते हैं तो।

बालक को बताएं कि जिस तरह उन्होंने पुलिस को बताया थाउसीप्रकार उन्हें घटना के बारे में न्यायाधीश को विस्तार से बताना है।

उन्हें बताएं कि यदि उन्हें इस घटना के बारे में कोई अन्य विवरण याद है , तो वह इसे न्यायाधीश को बता सकते हैं।

बालक को बताएं कि यदि उन्हें थकान महसूस हो रही है या भूख या प्यास लग रही है, या बयान के दौरान बाथरूम का उपयोग करना है,तो उन्हें पूछने और ब्रेक लेने का अधिकार है।

बालक को बताएं कि यदि भरोसेमंद वयस्क आदि की उपस्थिति उन्हें असुविधाजनक है तो वह उन्हें कमरे से बाहर निकलने के लिए कह सकते हैं।

यदि बालक का सवाल है कि उन्हें अदालत में क्यों जाना है या बयान को पुनः रिकॉर्ड क्यों करना है,तो उन्हें समझाएं कि अदालत दोषी को दंडित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उनका बयान इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुनें कि बालक को क्या कहना है और सकारात्मक और उचित रूप से जवाब दें।

164 (सी.आर.पी.सी) बयान के बाद

सुनिश्चित करें कि विवरण की पुष्टि के लिए बालक और भरोसेमंद वयस्क को बयान वापस पढ़कर सुनाया गया है।

बालक को पार्क या कहीं और ले जाये जहांवह आराम कर सके और अपने दिमाग को केस से दूर रख सके।

बालक को सूचित करें कि यह एकमात्र समय नहीं होगा कि उन्हें अपने बयान को दोहराने की आवश्यकता होगी। आने वाले वर्षों में ,यदि अधिक नहीं तो उन्हें कम से कम 3 बार बयान दोबारा दोहराने की आवश्यकता होगी। और ऐसा करने से, अदालत को दोषी को दंडित करने में मदद मिलेगी।

बालक को खुलकर बोलने और प्रक्रिया को अनुभव करने की अनुमति दें। धीरज से सुनें और नरमी से और उचित रूप से प्रतिक्रिया दें।

यदि आवश्यक हो तो एक पेशेवर परामर्शदाता के साथ सत्र की व्यवस्था करें।